

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2020—माघ 25, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्र. एफ ए-3-29-2019-1-पांच(08).—राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2019 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-29-2019-1-पांच (60), दिनांक 07 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, 1 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त नियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्र. एफ ए-3-29-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-29-2019-1-पांच (08), दिनांक 14 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 14th February 2020

No. F A-3-29-2019-1-V(08).—In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2019, made *vide* in this department's notification No. F A-3-29-2019-1-V(60), State Tax, dated the 7th August, 2019, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby appoints the 1st day of April, 2020, as the date from which the provisions of the said rule, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RATNAKAR JHA, Dy. Secy.